प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2026

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र पुत्र श्री मंगली, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र पुत्र श्री मंगली, जो ग्राम-बहादुर नगर, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दीवार गिराने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 18-07-2022 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र व कांता जैसे घातक हथियारों से लैस होकर रामपाल व सियाराम नामक 02 व्यक्तियों को अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/2003 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 364, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, सीतापुर के आदेश दिनांक 16.09.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। (2)-अ0सं0-1732/2005 भा0द0वि0 की धारा-2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 कक्ष सं0-9 गैंगेस्टर एक्ट सीतापुर के आदेश दिनांक 28-05-2024 को 10 वर्ष कारावास व अर्थदण्ड रू0-10,000/- के वाद में सजावधि पूर्ण कर अर्थदण्ड मा0 न्यायालय में जमाकर कारागार से रिहा हो चुका है। बंदी द्वारा दिनांक 11.12.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दीवार गिराने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 18.07.2002 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र व कांता जैसे घातक हथियारों से लैश होकर रामपाल व सियाराम नामक 02 व्यक्तियों का अपहरण कर गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलित्त अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामचन्द्र पुत्र श्री मंगली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र (बन्दी संख्या-115/2009) पुत्र श्री मंगली, निवासी जनपद- सीतापुर की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-533/2026/1365(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-533/2026/1365/22-2-2025-17(589)/2025

दिनांकः 19 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र पुत्र श्री मंगली, जो ग्राम-बहादुर नगर, थाना-कोतवाली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दीवार गिराने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 18-07-2022 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र व कांता जैसे घातक हथियारों से लैस होकर रामपाल व सियाराम नामक 02 व्यक्तियों को अपहरण कर गोली मारकर हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/2003 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 364, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01, सीतापुर के आदेश दिनांक 16.09.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। (2)-अ0सं0-1732/2005 भा0द0वि0 की धारा-2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 कक्ष सं0-9 गैंगेस्टर एक्ट सीतापुर के आदेश दिनांक 28-05-2024 को 10 वर्ष कारावास व अर्थदण्ड रू0-10,000/- के वाद में सजावधि पूर्ण कर अर्थदण्ड मा0 न्यायालय में जमाकर कारागार से रिहा हो चुका है। बंदी द्वारा दिनांक 11.12.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष, 00 माह, 23 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 05 माह, 16 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु आख्या दिनांक 29 अक्टूबर, 2022 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दीवार गिराने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 18.07.2002 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेयास्त्र व कांता जैसे घातक हथियारों से लैश होकर रामपाल व सियाराम नामक 02 व्यक्तियों का अपहरण कर गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलित्त अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रामचन्द्र पुत्र श्री मंगली को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।